

भाग - II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

5. परियोजना/ स्कीम का स्थान

- | | |
|---|---|
| (i) राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | — उत्तर प्रदेश |
| (ii) जिला | — सोनभद्र |
| (iii) वन प्रभाग | — रेणुकूट |
| (iv) वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वनभूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में) | — 52.9666 हेक्टे0 |
| (v) वन की कानूनी स्थिति | — धारा 4 में विज्ञापित |
| (vi) वनस्पति का घनत्व | — 0.8 |
| (vii) अखंडित क्षेत्र में वृक्षों की संख्या प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और व्यास श्रेणी-वार | — अखंडित क्षेत्र में रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट रेणुकूट तक 52.9666 हे0 वनभूमि पर वर्ष 1966 से 132 के.वी. विद्युत पारेषण लाईन निर्मित है जिस पर कोई वृक्षों का पालन नहीं होना है |
| (viii) क्या यह राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव, अभयारण्य, जीवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरिडोर, आदि का नाम है (यदि हाँ, तो क्षेत्र का ब्यौरा और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ संलग्न करें) | — नहीं |

6. क्या कोई कार्य अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किया गया है। (हाँ/ नहीं) यदि हाँ, तो किए गए कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें। उल्लंघन करते हुए कार्य क्या अभी भी चल रहे हैं।


उ.प्र.व.अ.
विपरी


(एम०पी० सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट

7. पूर्व अनुमोदन के दौरान निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट (संलग्न की जानी हैं) । - संलग्न है ।
8. प्रभाग / जिला प्रोफाईल :
- (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्र - 6788.00 वर्ग कि०मी० (6788०० ई)
- (ii) जिले का वन क्षेत्र - 3782.86 वर्ग कि०मी० (378286 ई)
- (iii) 1980 के बाद कुल वन क्षेत्र का वनेत्तर उपयोग मामलों की संख्या के साथ - 36
- (iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण पर : - (2335.6776 ई)
(क+ख)
- (क) दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण को शामिल करते हुए वनभूमि - 2206.00 हेक्टेयर
- (ख) वनेत्तर भूमि - 129.6776 हेक्टेयर
- (v) प्रतिपूरक वनीकरण की प्रगति
- (क) वनभूमि - 2206.00 हेक्टेयर
- (ख) वनेतर भूमि - 129.6776 हेक्टेयर
9. कारणों सहित प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए उप वन संरक्षण की विशेष सिफारिशें । - प्रश्नगत प्रस्ताव से आच्छादित वनभूमि पर वर्ष 1996 के पूर्व से 132 केवी ट्रांसमिशन लाईन निर्मित है । अतः प्रश्नगत नवीनीकरण प्रस्ताव से प्रभावित 52.9666 हे० वनभूमि के आगामी 25 वर्ष हेतु नवीनीकरण करने की संस्तुति की जाती है ।

तारीख : 25.03.2021
स्थान : 25/3/21

उ.प्र.व.अ.
फिफरी

(एम०पी० सिंह)
हस्ताक्षरीय वनाधिकारी
रेणुकूट वन प्रभाग, रेणुकूट
सरकारी मोहर